

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 616]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 17, शक 1944

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 1(1)/2020/2017/बी-ग्यारह — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य बायलर निरीक्षकालय सेवा (राजपत्रित) भरती तथा पदोन्नति नियम, 1979 में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाय, अर्थात् :-
"5 क. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24.01.2008 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30.09.2014 द्वारा समयमान वेतनमान लागू हैं। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश तथा दिशा-निर्देश लागू होंगे।"
- विद्यमान अनुसूची -एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"अनुसूची एक
(नियम 6 देखिए)

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	सेवा की श्रेणी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संचालक बायलर	1	प्रथम श्रेणी -	मध्य प्रदेश राज्य बायलर निरीक्षकालय सेवा (राजपत्रित)	मेट्रिक्स-15 रु. 1,23,100-2,15,900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	उप संचालक बायलर	1	प्रथम श्रेणी	-तदैव-	मेट्रिक्स-13 रु. 67,300-2,06,900
3.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	4	प्रथम श्रेणी	-तदैव-	मेट्रिक्स-13 रु. 67,300-2,06,900
4.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो	2	द्वितीय श्रेणी	-तदैव-	मेट्रिक्स-12 रु. 56,100-1,77,500

टीप:- संचालक बायलर का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार दिनांक 07.06.2018 के अनुसार होगा ।

अनुसूची दो

(नियम 7 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 7 (1) (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 7 (1) (ख) देखिए]	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 7 (4) देखिए]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	संचालक बायलर	1	-	100 प्रतिशत	-
	उप संचालक बायलर	1	-	100 प्रतिशत	-
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	4	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	-
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो	2	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची तीन
(नियम 9 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	21 वर्ष	40 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष; और (ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत में तीन वर्ष का अनुभव	
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो	21 वर्ष	40 वर्ष	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष और (ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव	

अनुसूची चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्च पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पद पर न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	उप संचालक बायलर/ निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	संचालक बायलर	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग - सदस्य 3. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सदस्य - सदस्य
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	उप संचालक बायलर	5 वर्ष	
	निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो	निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक	5 वर्ष	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 8th December 2022

No F-1(1)20-2017/B-11 :- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Boilers Inspectorate Service (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1979, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-
"5A Time Scale is applicable vide finance department's Memo No., F11/1/2008/Rule/Four, dated 24.01.2008 and Memo No. F11-17/2014/Rule/Four, dated 30.09.2014. Instructions and guide lines issued by the Govt. from time to time in this regard shall applicable."

2. for the existing schedule-I, II, III & IV, the following schedules, shall be substituted, namely

:-

"SCHEDULE-I (see rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the service	Number of posts	Class of Service	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director of Boilers	1	Class-I	Madhya Pradesh State Boiler Inspectorate Service (Gazetted)	Matrix-15 Rs. 1,23,100 – 2,15,900
2.	Deputy Director of Boilers	1	Class-I	-do-	Matrix-13 Rs. 67,300 – 2,06,900
3.	Inspector of Boilers Grade -I	4	Class-I	-do-	Matrix-13 Rs. 67,300 – 2,06,900
4.	Inspector of Boilers Grade -II	2	Class-II	-do-	Matrix-12 Rs. 56,100 – 1,77,500

Note- Pay fixation of Director of Boiler shall be in accordance with The finance Department's order No. F. 8-1-2015/Rule/Four dated 07.06.2018

SCHEDULE - II
(see rule 7)

Name of the Department	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage of the number of posts to be filled in		
			By direct recruitment [see rule-7 (1) (a)]	By promotion of members of service [see rule-7 (1) (b)]	By transfer of persons from other service [see rule-7 (4)]
1	2	3	4	5	6
Industrial Policy and Investment Promotion Department	Director of Boilers	1	-	100%	-
	Deputy Director of Boilers	1	-	100%	-
	Inspector of Boilers Grade -I	4	80%	20%	-
	Inspector of Boilers Grade -II	2	100%	-	-

SCHEDULE - III
(see rule 9)

Name of the Department	Name of post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
1	2	3	4	5	6
Industrial Policy and Investment Promotion Department	Inspector of Boilers Grade -I	21 years	40 years	(a) Degree in mechanical or production or power plant or metallurgical engineering from a recognized University or equivalent ; and (b) Three years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing ,repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) rules and regulations made thereunder	
	Inspector of Boilers Grade -II	21 years	40 years	(a) Degree in mechanical or production or power plant or metallurgical engineering from a recognized University or equivalent ; and (b) Two years experience in a managerial capacity in the design , construction, erection, operation, testing, repair , maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) rules and regulations made thereunder	

SCHEDULE-IV
(See rule 14)

Name of Department	Name of the service of post from which promotion is to be made	Name of the service or post to which promotion is to be made	Minimum service on the feeder post for promotion on next higher post	Name of members of the departmental promotion committee
1	2	3	4	5
Industrial Policy and Investment Promotion Department	Deputy Director of Boilers/ Inspector of Boilers Gr-I	Director of Boilers	5 Years	1. Chairman of Public Service Commission- Chairman 2. Principal Secretary / Secretary, Industrial Policy and Investment Promotion Department - Member 3. One Member belonging to Schedule Castes/ Schedule Tribes- Member
	Inspector of boilers Gr-I	Deputy Director of Boilers	5 Years	
	Inspector of Boilers Gr-II	Inspector of Boilers Gr-I	5 Years	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. K. BARONIA, Addl. Secy.